राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या–57 / 2024

अन्तर्गत

अपील संख्या–3101 / 2023

छीत्तरमल सैनी

–प्रार्थी–अपीलार्थी

बनाम

1. डॉ. समित शर्मा, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, सचिवालय, जयपुर, राज.।
2. दिनेश गोयल, मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, मुख्यालय केम्पस, राजस्थान, जयपुर।
3. कविता बोचालिया, सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सब डिवीजन रींगस, जिला सीकर।
4. डॉ. देवराज, निदेशक, निदेशालय पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग, ज्योति नगर, राजस्थान।

–अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 03.12.2024

<u>उपस्थित :–</u>

प्रार्थी–अपीलार्थी की ओर से : श्री सी.पी. शर्मा, अधिवक्ता

अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण की ओर से : कोई उपस्थित नहीं।

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. प्रार्थी–अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह अभिकथन किया है कि अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण ने अधिकरण के अपील संख्या 3101 / 2023 में दिनांक 06.12.2023 को पारित आदेश की पालना आदिनांक तक नहीं की गई है। अधिकरण के पूर्वोक्त आदेश दिनांक 06.12.2023 का प्रभावी भाग (Operating Part) निम्न प्रकार है :–

> "अतः हम अपीलार्थीगण की ओर से दिये गये तर्को से सहमत है कि अपीलार्थीगण चयनित वेतनमान के रूप में आगामी वेतनमान प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः हमारे मत में माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थीगण की उपरोक्त अपीलें स्वीकार किये जाने योग्य हैं। परिणामस्वरूप उपरोक्त समस्त अपीलें स्वीकार करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रत्येक प्रकरण में राजकीय कर्मचारी को चयनित वेतनमान स्वीकार करते समय उनको आगामी वेतन श्रृंखला में वेतनमान दिया जाए। इस सम्बन्ध में प्रत्यर्थीगण द्वारा पूर्व में दिये गये आदेशों को वापस लिया जाकर इस निर्णय के अनुसार संशोधित आदेश जारी किया जाए। प्रत्येक प्रकरण की स्थिति के अनुसार

> राजकीय कर्मचारियों को वेतनमान मय उपरोक्त पे–बैण्ड का लाभ दिया जाए और अपीलार्थी जो कि सेवानिवृत्त हो गया है, उनकों संशोधित जीपीओ, पीपीओ एवं सीपीओ जारी किया जाए और सभी अपीलार्थीगण को बकाया राशि का भुगतान किया जाए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि राज्य सरकार ने किसी वेतनमान की ग्रेड–पे में कोई बढ़ोतरी की है तो उसका लाभ भी प्रत्येक अपीलार्थीगण को दिया जावे। आदेश की पालना 3 माह की अवधि में की जावे।''

2. उनका आगे अभिकथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 06.12.2023 की बिना उचित कारण के जानबूझ कर अवहेलना की जा रही है, जो कि माननीय अधिकरण के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है। अतः बिना उचित कारण के जानबूझ कर अधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। प्रत्यर्थीगण जानबूझ कर अधिकरण के आदेश की पालना नहीं कर रहा है। इसलिए प्रत्यर्थी विभाग माननीय अधिकरण के आदेशों की अवहेलना के दोषी है। अतः अवमानना प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि प्रत्यर्थी विभाग से माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 06.12.2023 की पालना करवायी जावे और पालना नहीं करने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के विरूद्ध अवमानना कार्यवाही प्रारम्भ कर माननीय उच्च न्यायालय को दण्ड हेतु रैफर किया जावे।

3. अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण की ओर से इस अवमानना याचिका का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4. हमने अपीलार्थी की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान प्रार्थी–अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अवमानना प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। हम पाते है कि अधिकरण का आदेश पारित हुए करीब एक वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है, परन्तु अधिकरण के आदेशों की पालना नहीं की गयी है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अधिकरण के आदेश के संबंध में कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है। ऐसे में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अधिकरण के आदेशों की पालना न कर लगातार अवमानना की जा रही है।

5. स्वीकृत रूप से अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2023 के क्रियाशील भाग में यह अंकित किया गया है कि :–

> ''अतः हम अपीलार्थीगण की ओर से दिये गये तर्को से सहमत है कि अपीलार्थीगण चयनित वेतनमान के रूप में आगामी वेतनमान प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः हमारे मत में माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थीगण की उपरोक्त अपीलें स्वीकार किये जाने योग्य हैं। परिणामस्वरूप उपरोक्त समस्त अपीलें स्वीकार करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को

निर्देश दिये जाते हैं कि प्रत्येक प्रकरण में राजकीय कर्मचारी को चयनित वेतनमान स्वीकार करते समय उनको आगामी वेतन श्रृंखला में वेतनमान दिया जाए। इस सम्बन्ध में प्रत्यर्थीगण द्वारा पूर्व में दिये गये आदेशों को वापस लिया जाकर इस निर्णय के अनुसार संशोधित आदेश जारी किया जाए। प्रत्येक प्रकरण की स्थिति के अनुसार राजकीय कर्मचारियों को वेतनमान मय उपरोक्त पे–बैण्ड का लाभ दिया जाए और अपीलार्थी जो कि सेवानिवृत्त हो गया है, उनको संशोधित जीपीओ, पीपीओ एवं सीपीओ जारी किया जाए और सभी अपीलार्थीगण को बकाया राशि का भुगतान किया जाए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि राज्य सरकार ने किसी वेतनमान की ग्रेड–पे में कोई बढ़ोतरी की है तो उसका लाभ भी प्रत्येक अपीलार्थीगण को दिया जावे। आदेश की पालना 3 माह की अवधि में की जावे।''

6. यह स्वीकृत रूप से प्रकट है कि अधिकरण ने प्रार्थी–अपीलार्थी की पूर्वोक्त अपील में आदेश पारित कर अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण को कार्यवाही करने का निर्देश दिया था। अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश की पालना अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण ने अभी तक नहीं की है। अतः अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण के लिये यह आवश्यक था कि वे अधिकरण के आदेश की समयावधि में पालना करते या माननीय उच्च न्यायालय से इसकी क्रियान्विति पर कोई स्थगन आदेश प्राप्त करते। प्रिवी काउन्सिल के **सर लॉरेन्स जेनकिन्स ने जसकर्ण बोइद बनाम पिरथीचन्द लाल (ए.आई.आर. 1918 पी.सी. 151)** के प्रकरण में निम्न प्रकार अवधारित किया था :–

> *"whatever be the theory under other systems of law, under the Indian law and procedure an original decree is not suspended by the presentation of an appeal nor is its operation interrupted where the decree on appeal is merely one of dismissal. There is nothing in the Indian law to warrant the suggestion that the decree or order of the court or tribunal of the first instance becomes final only on the termination of all proceedings by way of appeal or revision."*

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद नूह (ए.आई. आर. 1958 एस.सी. 86)** में प्रिवी कौंसिल के पूर्वोक्त निर्णय का अनुमोदन करते हुए निम्न मत व्यक्त किया था :–

> *"the filing of an appeal might put the decree or order in jeopardy but until it is reversed or modified it remains effective."*

8. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन **मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति पी.डी.देसाई ने हंसराज धीर के प्रकरण (1985 Cri. L.J. 1030)** में अवमानना प्रकरण के सिद्धान्तों की निम्न प्रकार व्याख्या की थी :–

> *"Once a case is decided, it is the bounden duty of the State and its subordinates to implement, with the utmost expedition, the said decision. In a Government which is ruled by law, there must be complete awareness to carry*

> *out faithfully and honestly the decisions rendered by courts of law after effective adjudication. Then only will private individuals, organisations and institutions learn to respect the decisions of courts. In absence of such attitude on the part of all concerned, chaotic conditions might arise and the functions assigned to the courts of law under the Constitution might be rendered a futile exercise. It requires to be emphasised, in this connection, that mere preferment of an appeal does not automatically operate as a stay of the decision under appeal and that till an application for stay is moved and granted by the appellate court, or, in the alternative, the court which rendered the decision is moved and grants an interim stay of the decision pending the preferment of an appeal and grant of stay by the appellate court, the decision continues to be operative. Indeed, non-compliance with the decision on the mere ground that an appeal is contemplated to be preferred or is actually preferred, and that, therefore, the matter is subjudice, may amount to contempt of court punishable under the Contempt of Courts Act, 1971."*

9. उपर्युक्त विनिश्चयों के आलोक में और प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे विनम्र मतानुसार यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण ने इस अधिकरण के आदेश दिनांक 06.12.2023 की पालना न कर उक्त न्यायिक आदेश की अवमानना कारित की है। हम इस अवमानना प्रकरण को अधिकरण में लम्बित रखना उचित नहीं समझते हैं और इस प्रकरण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को Contempt of Courts Act, 1971 की धारा 10 के प्रावधान के क्रम में उपर्युक्त अवमानना कृत्य के लिए अवमाननाकर्ताओं के विरूद्ध अवमानना की कार्यवाही संस्थित करने हेतु संदर्भित करना उचित समझते हैं।

10. उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी–अपीलार्थी के अवमानना प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अधिकरण के रजिस्ट्रार को निर्देश दिए जाते हैं कि वे अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 10 के अन्तर्गत अवमानना की कार्यवाही संस्थित करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ, जयपुर को संदर्भित करावें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)